अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरीका द्वारा तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिये समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई स्थगित करने निर्णय संबंधी समाचार

श्री ओम प्रकाश त्यागी : महोदय मैं प्रधान मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"अमरीकी न्यूकलीय विनिमायक आयोग के तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई स्थगित करने सम्बन्धी निर्णय के समाचार तथा उससे उत्पन्न स्थिति।"

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी दसाई) : समृद्ध यूरेनियम, जो कि भारत में तैयार नहीं किया जाता है, तारापुर परमाणु बिजलीघर में काम आने वाले ईंधन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी आवश्यकता हमारे किसी भी अन्य परमाणु बिजलीघर के लिए नहीं पड़ती, क्योंकि उनके डिजाइन दूसरे ढंग के हैं। अमरीका की सरकार तथा भारत सरकार के बीच हुए द्विपक्षीय सहयोग-करार में यह व्यवस्था की गई है कि तारापुर बिजलीघर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला सारा समृद्ध यूरेनियम अमरीका द्वारा दिया जाएगा तथा भारत इसे किसी अन्य स्रोत से नहीं लेगा। तदनुसार, समृद्ध यूरेनियम का आयात केवल अमरीका से किया जाता है। प्रतिवर्ष औसतन लगभग 17 से 21 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम का आयात केवल अमरीका से किया जा रहा है। अमरीका मे इस समय अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार, तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम की खेपें भेजने के लिए निर्यात लाइसेंस का होना जरूरी है, जो कि अमरीकी न्यूक्लीय विनिमायक आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक-कल्प (quasi judiciary body) है और अमरीकी सरकार की कार्य पालिका के अन्तर्गत नहीं आता। समृद्ध यूरेनियम के निर्यात-लाइसेंसों के लिए दिए गए आवेदन-पत्रों को वहां की सरकार की कार्यपालिका द्वारा अनुमोदित कर दिया जाने के बाद उन पर अमरीकी न्यूक्लीय विनिमायक आयोग द्वारा विचार किया जाता है। इस समय अमरीका के ऊर्जा विभाग के पास ऐसे दो लाइसेंस हैं, जो क्रमशः 7.6 मीटरी टन और 16.7 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम के संबंध में हैं। 7.6 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम सितम्बर, 1977 में भेजा जाना चाहिए था, तथा लाइसेंस संख्या XSNM-1222, जिसका आवेदन-पत्र 1 नवम्बर, 1977 को दिया गया था, अप्रैल से अक्तूबर, 1978 तक की अवधि में किए जाने वाले समृद्ध यूरेनियम के निर्यात के सम्बन्ध में है। समृद्ध यूरेनियम की ये मात्रायें उस कार्यक्रम के अनुसार ही हैं, जो अमरीका द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद, समृद्ध यूरेनियम के निर्यात के बारे में सितम्बर, 1976 में तैयार किया गया था।

समृद्ध यूरेनियम की पहली खेप के भेजे जाने में विलम्ब का कारण यह था कि अमरीकी सरकार की दीर्घकालीन नीति से सम्बन्धित निरस्त्रीकरण विधेयक वहां की कांग्रेस के विचाराधीन था। फिर भी, राष्ट्रपति कार्टर ने जनवरी, 1978 में अपनी भारत यात्रा के दौरान

संसद में यह घोषणा की थी कि तारापुर परमाणु बिजलीघर के रिऐक्टरों के लिए आवश्यक न्यूक्लीय ईंधन 26 जनवरी, 1978 को भेजा जायेगा। अमरीकी सरकार की कार्यपालिका ने अमरीकी न्यूक्लीय विनिमायक आयोग से यह सिफारिश की कि 7.6 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम के संबंध में विचाराधीन आवेदन-पत्र में मांगा गया लाइसेंस जारी कर दिया जाये। अमरीका में पर्यावरण में रुचि रखने वाले तीन ग्रुपों ने, जिनके नाम राष्ट्रीय साधन रक्षा परिषद (the National Resources Defence Council), सम्बद्ध वैज्ञानिकों का संघ (the Union of Concerned Scientists), तथा सिएरा क्लब (Sierra Club) हैं, तथा जिन्होंने पहले भी समृद्ध यूरेनियम की एक खेप के भेजे जाने का विरोध किया था, न्यूक्लीय विनिमायक आयोग के समक्ष इस अनुरोध के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि तारापुर के लिए ईंधन के निर्यात से सम्बद्ध 7 मई, 1976 को की गई सार्वजनिक सुनवाई दोबारा की जाए तथा 7.6 मीटरी टन और 16.7 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम के निर्यात के लिए विचाराधीन लाइसेंसों से सम्बद्ध कार्रवाई को समेकित किया जाए। 21 फरवरी, 1978 को अमरीकी सरकार की कार्यपालिका ने अमरीकी न्यूक्लीय विनिमायक आयोग से अनुरोध किया कि 7.6 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम के विचाराधीन लाइसेंस को, जिसे कार्यपालिका ने अनुमोदित कर दिया था, जारी करने में और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। समाचार मिला है कि 16 मार्च, 1978 और 20 मार्च, 1978 को हुई अमरीकी न्यूक्लीय विनिमायक आयोग की बैठकों में आयोग के दो सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण इस बारे में निर्णय नहीं लिया जा सका। आयोग के अध्यक्ष ने उन दोनों सदस्यों से विचार-विमर्श पूरा होने तक निर्णय को स्थगित कर दिया है।

दोनों सरकारों के बीच हुए करार और उसके बाद दोनों देशों के बीच हुई बिक्री संबंधी संविदा के अनुसार तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई जारी रखने की आवश्यकता के बारे में हमारी सरकार अमरीकी अधिकारियों को निरंतर बताती रही है। उन्हें यह बताया गया है कि समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई में विलम्ब होने से हैदराबाद स्थित न्यूक्लीय ईंधन सम्मिश्र के काम पर पहले ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका है और इसकी वजह से तारापुर परमाणु बिजलीघर में बिजली के उत्पादन में मजबूरन कटौती करनी पड़ी है। तथापि, यह विलम्ब किसी प्रकार के नीति सम्बन्धी कारणों से नहीं हो रहा है। इसका कारण प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएं हैं। हमें विश्वास है कि अमरीकी प्रशासन इस बात की भरपूर कोशिश कर रहा है कि, उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय तेजी से हो, लेकिन अंतिम निर्णय उसके हाथ में नहीं है।

इस विलम्ब के कारण बिजली के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हम बिजलीघर को पूर्णत: बंद किये जाने की स्थिति से बचाने के उद्देश्य से, समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई सुनिश्चित बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिजली के उत्पादन पर आंशिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है। मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा होना अपरिहार्य है। मैं केवल यही आशा करता हूं कि अमरीकी प्रशासन उक्त आपत्तियों के विरुद्ध निर्णय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेगा और समृद्ध यूरेनियम की खेपें भेजने का काम फिर से जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा।

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraich) : Mr. Speaker, The Prime Minister has mentioned important facts in this regard and I think that our Tarapur Plant, on which, foreign exchange worth about Rs. 300 crores has been spent, is in danger. I would like

to know as to why 7.6 tonne enriched uranium, which was to be received upto September, 1977, has not been supplied so far though the U.S. President Shri Carter had given an assurance therefor.

In this statement nothing has been mentioned about public hearing. Secondly, the U.S. Government has passed an Act according to which enriched uranium will be supplied to that country which will sign the non-proliferation treaty. In this context I would like to know as to what steps are being taken to ensure that the Tarapur Plant continues to function in future. The question is not supply of 7.6 tonnes of uranium at present but the question is of regular supply of uranium and whether Government of India have reached any agreement with U.S. Government in this matter, or any change is being brought about in the policy regarding non-proliferation treaty or any agreement will be reached with some other country. I would also like to know.

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक ही प्रश्न पूछिए ।

SHRI OM PRAKASH TYAGI : Mr. Speaker, it is my experience that you quote rules on the day on which discussion on the calling attention is raised.

अध्यक्ष महोदय : आप सात मिनट तक बोल चुके हैं ।

SHRI OM PRAKASH TYAGI : Mr. Speaker, here is a very important question of spent fuel. If we get 7.6 and 16.7 tonnes of enriched uranium, there is the question of storage of spent fuel and where it will be stored as there is no storage capacity for that. As per the agreement U.S. should accept it but they are not taking. Then how this problem will be solved ?

Besides I have got information today itself that if fuel is reprocessed, atom bomb can be made of that matter called plutonium. When U.S. Government is neither allowing reprocessing of spent fuel nor accepting it, nor supplying uranium, how all these problems will be solved ? I would also like to know as to what efforts are being made for development thereof and thorium technology.

SHRI MORARJI DESAI : I am sure that the assurance given by the President Carter will be fulfilled but it cannot be done immediately. I hope that it will be decided at an early date and our difficulties will reduce. We cannot say that we will continue to get it even after one year as another law has been enacted there which will come into force. We should have patience in this matter.

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : यह दुर्भाग्य की बात है कि समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई में देरी हो रही है । इसके विकल्प के बारे में इस सदन का विश्वास प्राप्त किया जाना चाहिए । यह तो आशा ही है कि राष्ट्रपति कार्टर अपने वचन को पूरा करेंगे । परन्तु ऐसा बताया गया है कि एक अर्ध न्यायिक कल्प (quasi judicial body) है और निर्यात लाइसेंस देने का काम अमरीकी न्यूक्लीय विनिमायक आयोग करता है । वे सार्वजनिक सुनवाई भी करेंगे । हमारा अमरीका के साथ एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है जिसके अनुसार हम किसी और स्रोतों से समृद्ध यूरेनियम प्राप्त नहीं कर सकेंगे । मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने अमरीका के साथ यह मामला उठाया है कि यदि इसमें विलम्ब होता है तो क्या हम अन्य स्रोतों से समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई की व्यवस्था कर सकेंगे । क्या सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव है और क्या यह मामला अमरीका के साथ उठाया गया है ? और अमरीका सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

हमें यह भी नहीं मालूम है कि इन प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में कितना समय लगेगा । मेरा मौलिक प्रश्न यह है कि क्या सरकार अमरीका के अधिकारियों के रवैये से खुश है और क्या सरकार का निस्सन्देह यह विश्वास है कि समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई जारी रहेगी ।

श्री मोरारजी देसाई : हमने अमरीका के साथ मामला उठाया है और हम कठिनाइयां दूर करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। स्थिति यह है कि इस संयंत्र में हम समृद्ध यूरेनियम के अतिरिक्त और कोई ईंधन प्रयोग में नहीं ला सकते और समझौते के अनुसार इसे अन्यत्र कहीं से नहीं मंगा सकते। यदि वे सप्लाई नहीं करते हैं और ऐसा कहते हैं तो अन्य मार्ग खुले हैं। यहां तक कि प्रयुक्त सामग्री का परिष्करण भी हम कर सकेंगे। फिर हमारे लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। हम कई चीजों का पता लगा सकते हैं। हमें इस समय सारी स्थिति बताकर अधिक कठिनाइयां उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। हमें उपचार ढूढना है और आशा है कि हम उपचार ढूंढ लेंगे।

श्री वसन्त साठे (अकोला) **:** माननीय प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह उल्लेख किया है कि तारापुर के लिए ईंधन अमरीका से आएगा और भारत किसी अन्य स्रोत से इसे प्राप्त नहीं करेगा। यदि एक पक्ष समझौते का पालन नहीं करता है तो दूसरा पक्ष समझौते से कैसे बंधा रह सकता है? यदि यह ईंधन नहीं आता है तो तारापुर संयंत्र का क्या होगा? अतः इसका विकल्प सोचना होगा। समूचे राष्ट्र में ऐसी धारणा बन रही है कि हमारा राष्ट्र झुक रहा है। मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हुं कि उन्हें वैकल्पिक स्रोत से यूरेनियम प्राप्त करने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है?

श्री मोरारजी देसाई : अभी समझौता भंग नहीं हुआ है। यूरेनियम की सप्लाई में विलम्ब हो रहा है। अभी उन्होंने मना नहीं किया है। कुछ यूरेनियम आ चुका है और कुछ आने वाला है। यदि समझौता भंग हो जाएगा तो हम जो कुछ भी करना चाहेंगे करने के लिए स्वतंत्र होंगे। हमारे लिए कोई बंधन नहीं होगा। मैं स्वयं भी समझौता भंग नहीं कर सकता।

श्री वसन्त साठे : क्या समझौते में इस बात का उल्लेख था कि राष्ट्रीय साधन रक्षा परिषद की आपत्ति पर इसमें विलम्ब हो सकता है?

श्री मोरारजी देसाई : यह समझौते से बाहर नहीं है। अमरीका अपनी प्रक्रिया के लिए बाध्य है। जैसे कि हम अपनी प्रक्रिया के लिए बाध्य हैं। झुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। मेरी कोशिश यह भी होगी कि तारापुर संयंत्र बंद न हो। इस देश के आत्म सम्मान को बनाए रखने के लिए मैं इसे निःसंकोच बंद कर दूंगा।

श्री वसन्त साठे : मैं संतुष्ट हूं।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल रहा है।

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : Mr. Speaker, Sir, I am very much satisfied with the statement of the Prime Minister. Under the agreement we can get supply of uranium only from U.S.A. In my opinion this should not be provided in the agreement.

Our atomic scientists are of the opinion that for the development of energy, it is necessary to develop the atomic power. We should, therefore, achieve self-sufficiency in atomic power. There is no alternative. I would like to know whether such a policy will be laid down during the next 5 years under which we will be able to achieve self-reliance in this matter.

SHRI MORARJI DESAI : We are making every effort to achieve self-reliance in this matter.